बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 410010 पटना, दिनांक 06-02-19

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(IAY अन्य)-102-31/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के अवशेष लक्ष्य के विरूद्ध आवास की स्वीकृति के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय बैठकों एवं विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन की समीक्षा के क्रम में कतिपय जिलों द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कोटि के प्रतीक्षा सूची में योग्य लाभुक उपलब्ध नहीं रहने के कारण निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवास की स्वीकृति नहीं हो पा रही है ।

यद्दपि आवास सॉफ्ट के E.4 Report के अनुसार अभी भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कोटि के प्रतीक्षा सूची में लाभुक प्रदर्शित हो रहे हैं किन्तु अयोग्य परिवारों को प्रतीक्षा सूची से हटाने के लिए Remand की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं है । अतएव आवास सॉफ्ट के E.4 Report - Category wise SECC Data Verification Summary तथा Cases to be Remanded to Gram Sabha Report (District Login) से प्रखण्डवार एवं पंचायतवार डाटा का आकलन किया जाना आवश्यक है जिससे कोटिवार लाभुकों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के अवशेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतीक्षा सूची के क्रम में लाभुकों को आवास की स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा जिस कोटि में Remand के प्रस्ताव को राज्य द्वारा Approve कर दिया गया है उसी कोटि में प्रतीक्षा सूची के अगले क्रम के पात्र लाभुकों को आवास की स्वीकृति का प्रावधान किया गया है ।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नवत कार्रवाई की जाए :-

(1) जिन जिलों में Pending Sanction के विरूद्ध Remand का प्रस्ताव भेजा जाना लंबित है उन जिलों में सर्वप्रथम यह कार्य दिनांक 07.02.2019 तक पूरा कर लिया जाए । इसी क्रम में राज्य स्तर से पूर्व से Approve किये गये Remand के प्रस्ताव से संबंधित ग्राम सभा की कार्यवाही (सूची एवं ऑर्डरशीट सहित) दिनांक 15.02.2019 तक आवास सॉफ्ट पर Remand Module के माध्यम से निश्चित रूप से अपलोड करा लिया जाय ।

(2) प्रखण्डवार एवं पंचायतवार तथा कोटिवार Remand किये गये लाभुकों जिनका Stop Sanction (Approve) विभाग से हो चुका है, के विरूद्ध उसी कोटि के प्रतीक्षा सूची में प्रदर्शित हो रहे लाभुकों को लक्ष्य के अंतर्गत प्राथमिकता क्रम में आवास की स्वीकृति दिनांक 10.02.2019 तक सुनिश्चित की जाय ।

(3) किसी कोटि में Remand के प्रस्ताव के बाद प्रतीक्षा सूची में लक्ष्य के अनुरूप लाभुक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में अन्य (Others) कोटि में स्वीकृति प्रदान करने के निमित्त संलग्न प्रपत्र में लक्ष्य परिवर्तित करने संबंधी जिला का समेकित प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा जिला के कोटिवार परिवर्तित लक्ष्य का निर्धारण करते हुए सूचित किया जायेगा और उसके आधार पर जिला स्तर से प्रखण्डवार एवं पंचायतवार निर्धारित लक्ष्य को अपरिवर्तित रखते हुए लक्ष्य का निर्धारण किया जायेगा ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

6/2/2019

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण .....

ज्ञापांक ..... दिनांक .....

<u>प्रमाण - पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि -

(1) ..... जिला के प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC/ST) की स्थायी प्रतीक्षा सूची में ..... लाभुक सूचीबद्ध थे । वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए उक्त कोटि का निर्धारित लक्ष्य ..... के विरूद्ध ..... लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा ..... लाभुकों को Remand किया गया है । वर्तमान में SC/ST कोटि में योग्य लाभुकों की शेष संख्या ..... है जिनको उसी कोटि में प्राथमिकता क्रम के अनुसार आवास की स्वीकृति दी जायेगी ।

(2) SC/ST कोटि की प्रतीक्षा सूची के निम्न लाभुकों के लिए लक्ष्य अक्षुण रखा गया है:-

SC/ST कोटि के शेष योग्य लाभुकों की सं0 जिनकी स्वीकृति दी जानी है	:-	
अस्थायी रूप से पलायन किये गये लाभुकों की संख्या	:-	
वास स्थल विहीन लाभुकों की संख्या	:-	
अन्य (यदि कोई हो) विवरण सहित	:-	
कुल	:-	

(3) वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लक्ष्य के विरूद्ध आवास की स्वीकृति एवं Remand किये गये संख्या के पश्चात जिला के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की स्थायी प्रतीक्षा सूची में उपर्युक्त मापदण्ड के लाभुकों को छोड़कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुक उपलब्ध नहीं है ।

(4) ग्राम पंचायत विशेष एवं प्रखण्ड विशेष में जितनी संख्या में स्थायी प्रतीक्षा सूची में किसी कोटि विशेष के लाभुकों को Remand किया गया है उतनी हीं संख्या में उसी कोटि के लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी जायेगी तथा उस कोटि में लाभुक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में ही अन्य (Others) कोटि में लक्ष्य को परिवर्तित करने का प्रस्ताव है ।

(5) अत: SC/ST कोटि की प्रतीक्षा सूची के शेष योग्य लाभुकों (यथा कंडिका-2) को छोड़कर स्वीकृति हेतु लंबित लक्ष्य (SC/ST कोटि में अन्य (Others) कोटि के शामिल लाभुकों की संख्या सहित) कुल ..... के समतुल्य लक्ष्य ..... को अन्य (Others) कोटि में परिवर्तित करने की अनुशंसा की जाती है ।

(हस्ताक्षर)
उप विकास आयुक्त